243

संख्या– /XV-3/2015-01(27)/2005(बजट)(TSP)

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य)

देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2015

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, फील्ड ट्रिप, प्रचार प्रसार एवं साहित्य वितरण आदि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–926/वा0यो0(TSP)/2015–16, दिनांक 19 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 मे अनुसूचित जनजातियों का कल्याण योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग की अनुसूचित जनजाति उपयोजना में राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिग योजना में मैदानी तालाब निर्माण, पर्वतीय तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, फील्ड ट्रिप एवं प्रचार प्रसार कार्यों हेतु मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 60.00 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 45.00 लाख के सापेक्ष संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल **₹ 45.00 लाख (₹ पैंतालीस लाख मात्र) की धनराशि** निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निदेशक, मत्स्य द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार वितरित करत हुऐ आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्ष अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–645/XVII(1)/2015, दिनांक 04.06.2015 के अनुसार की जायेगी। उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किश्त जारी की जायेगी एवं लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का

6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी व कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा, ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सकेगा।
7. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय–समय पर यथा संशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जायेया।
9. योजना के सम्बन्ध में **उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनागत–796–जन जाति क्षेत्र उपयोजना –03–राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिए फिश फार्मिंग–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–81(P)/XXVII-(1)/2015, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या– 96 (1)/XV-3/2015-01(27)/2005(बजट)(TSP), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)

शासनादेश संख्या–96 /XV-3/2015-01(27)/2005 (बजट) (TSP), दिनांक 15 सितम्बर, 2015 का संलग्नक

1. **वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनजाति उपयोजना में राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि ₹ 45.00 लाख के सापेक्ष जनपदवार धनराशि का वितरण**

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 स0	जनपद	मदवार वित्तीय वितरण					
		मैदानी तालाब निर्माण	पर्वतीय तालाब निर्माण	प्रशिक्षण	फील्ड ट्रिप	प्रचार–प्रसार	कुल धनराशि
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–	–7–	–8–
1.	चमोली	0.98	2.94	0.09	0.60	0.14	**4.75**
2.	देहरादून	0	7.96	0.30	2.00	0.22	**10.48**
3.	पिथौरागढ़	0	5.04	0.15	1.00	0.20	**6.39**
4.	बागेश्वर	0	2.94	0.09	0.60	0.14	**3.77**
5.	ऊधमसिंहनगर	8.82	0	0.27	1.80	0.22	**11.11**
6.	नैनीताल	0	6.72	0.21	1.40	0.17	**8.50**
योग		**9.8**	**25.6**	**1.11**	**7.4**	**1.09**	**45.00**

2. **वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनजाति उपयोजना में राजि, थारू एवं बोक्सा जनजातियों के लिये फिश फार्मिंग योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि ₹ 45.00 लाख के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण**

क्र0 स0	जनपद	मदवार वित्तीय वितरण			
		मैदानी तालाब निर्माण (यूनिट 0.20 है0)	पर्वतीय तालाब निर्माण (यूनिट 0.01 है0)	प्रशिक्षण (संख्या में)	फील्ड ट्रिप (संख्या में)
–1–	–2–	–3–	–4–	–5–	–6–
1.	चमोली	–	07 यूनिट (0.07 है0)	06	06
2.	देहरादून	02 यूनिट (0.40 है0)	19 यूनिट (0.19 है0)	20	20
3.	पिथौरागढ़	–	12 यूनिट (0.12 है0)	10	10
4.	बागेश्वर	–	07 यूनिट (0.07 है0)	06	06
5.	ऊधमसिंहनगर	18 यूनिट (3.60 है0)	–	18	18
6.	नैनीताल	–	16 यूनिट (0.16 है0)	14	14
योग		**20 यूनिट (4.00 है0)**	**61 यूनिट (0.61 है0)**	**74**	**74**

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव